

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(12782)आ.कृ./237-241

दिनांक : 8/4/22


आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(3)(ब)(12779)आ.कृ./20353-22460 दि० 11.03.2022 द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाकर निर्देशित किया गया था कि वे आदेश प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में कार्यग्रहण करें।

गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नांकित नव-चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की बीमारी के कारण संबंधित कार्यालय में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यग्रहण करने की अवधि में छूट चाही है :-

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	पता	पिन	कार्यालय, जिसमें उपस्थिति देनी है	छूट चाहने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	SAMPAT RAJ DUKATAWA	BHABUT RAM	DUKATAWA KA BERA, NEAR SR SEC SCHOOL, GHANAMAGRA, GHANAMAGRA, DISTT. JODHPUR PIN 342805 Rajasthan	70424	उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, जोधपुर	20.04.2022 तक

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दि० 18.10.1997 के अनुसरण में उक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक तक संबंधित कार्यालय में कार्यग्रहण/उपस्थिति प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाई जाती है।



(सोहन लाल शर्मा)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(3)(ब)(12782)आ.कृ./ 237-241

दिनांक : 8/4/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड, जोधपुर।
- उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, जोधपुर
- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, मु० को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित अभ्यर्थी श्री को प्रेषित कर लेख है कि कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक तक आवश्यक रूप से आपके संबंध में जारी विभागीय नियुक्ति आदेश क्रमांक प.2(3)(ब)(12779)आ.कृ./ 20353-22460 दिनांक 11.03.2022 में अंकितानुसार संबंधित कार्यालय में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे।
- आरक्षी/निजी पत्रावली।


(कैलाश चन्द मीणा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)